Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ राजसमन्द में पटवारी पटवार हल्का सेमा, अतिरिक्त चार्ज बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द 4,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 26 मई, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर ने कार्यवाही करते हुये आरोपी **राहुल कुमार शर्मा** को **4,000/-रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली की दिनांक 01.05.2026 को परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों इन्टे. उदयपुर को शिकायत पेश कि जिसमें जरिये दानगृहिता भूमि रजिस्ट्री करवाने के पश्चात उसका नामान्तरण खोलने की एवज में 7,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर दौराने मांग सत्यापन परिवादी से आरोपी राहुल कुमार शर्मा द्वारा 1000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई तथा 4,000/- रूपये दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि ग्रहण कर ए.सी.बी. टीम को आता देखकर अपने सरकारी निवास में बने टायलेट में बनी डब्लुसी में डाल दिये जिस पर आरोपी की निशादेही से बरामद किये गये।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर की प्रभारी **डॉ. सोनू शेखावत** के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा को 4,000/- चार हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी राहुल कुमार शर्मा से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 1988) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।